



# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :-पी.एफ. एवं पेंशन/2024-25/19

दिनांक :- 23/04/2024

## कार्यालय आदेश

सचिव, वित्त (बजट), राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F1(5)FD/Rules/2009 दिनांक 06.05.2020 के क्रम में राजस्थान आवासन मण्डल सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी चिकित्सा राहत कोष में कर्मचारियों के अंशदान में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

संशोधित वेतनमान 2017 के अनुसार

क्र.सं.	वेतन	कटौति प्रतिमाह
1	Basic pay up to 18000/-	265/-
2	Basic pay above 18000/- up to 33500/-	440/-
3	Basic pay above 33500/- up to 54000/-	658/-
4	Basic pay above 54000/-	875/-

संशोधित वेतनमान 2008 के अनुसार

क्र.सं.	वेतन	कटौति प्रतिमाह
1	Basic pay up to 7000/-	265/-
2	Basic pay above 7000/- up to 13000/-	440/-
3	Basic pay above 13000/- up to 21000/-	658/-
4	Basic pay above 21000/-	875/-

संशोधित वेतनमान 1998 के अनुसार

क्र.सं.	वेतन	कटौति प्रतिमाह
1	Basic pay up to 3000/-	265/-
2	Basic pay above 3000/- up to 6000/-	440/-
3	Basic pay above 6000/- up to 9000/-	658/-
4	Basic pay above 9000/-	875/-

- (i) मण्डल में दिनांक 01.01.2004 से पूर्व के कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में से उपरोक्तानुसार राशि की कटौति प्रत्येक माह किये जाने तथा पूर्व आदेश क्रमांक 416 दिनांक 08.06.2015 के अनुसार जिसकी न्यूनतम सीमा रू. 35000/- तथा पंजीकरण राशि रू. 1000/- होगी। उक्त कटौति कार्मिक की सेवानिवृत्ति दिनांक तक की जावेगी।

उक्त आदेश राजस्थान आवासन मण्डल सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी चिकित्सा राहत कोष समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर जारी किये जाते हैं।

  
उप वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- (2) निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार, राज. आवासन मण्डल, जयपुर
- (3) अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड, कर्मचारी संघ, जयपुर।
- (4) मुख्य अभियन्ता (मु.)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- (5) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अध्यक्ष अवसायन समिति/अतिरिक्त नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
- (6) मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- (7) उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
- (8) वरिष्ठ लेखाधिकारी ....., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
- (9) उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर-वृत्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/जोधपुर-प्रथम/द्वितीय/ अलवर/ बीकानेर/कोटा/उदयपुर।
- (10) संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक) कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- (11) आवासीय अभियन्ता, खण्ड....., राजस्थान आवासन मण्डल।
- (12) लेखाधिकारी (भुगतान) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- (13) अन्य .....
- (14) रक्षित पत्रावली।

  
वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन)